

FORM NO.111

फर्ट अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगाधोपुर (सीकर)

किस्म मुकदमा - इजराय

मनोहर लाल बनाम मुम्बिाशे तहसीलदार वगैरे

मुकदमा नम्बर - 15 / 2025

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लभु हस्ताक्षर

मुकदमा नं. की तारीख
अहकाम की
दिनांक हुक्म की
तारीख में जारी
हुई

21.07.2025

वकील डिकीदार श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्जे इजिस्टर की जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2025 की पालना मे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किराी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीगाधोपुर को तहसीर आदेश जारी की जावे। पत्रावली वारते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

16.09.2025

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्कम हांसपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1656 दिनांक 09.08.2025 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फौसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

ऑनलाईन
राजस्व रिकार्ड
का अपलोडिंग
क्रिया गम्या
संख्या 1656
दि. 09/08/25
द्वारा अमल
दरामद क्रिया
गम्या।

16.09.2025
अ.क.

